राज्य रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, ए–ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
दूरभाष: 0522–2996020, 2720360 फैक्स: 0522–2721135
Website: sbtcup.org & Email: bsupsacs@gmail.com

पत्रांक: एस.बी.टी.सी. /ODC/CBB/170/2015-16/ 2336 दिनाँक: 22/12/15

सेवा में,

जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय: वालण्टरी / चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा संचालित रक्तकोषों को स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की अनुमति में विलम्ब के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राज्य रक्त संचरण परिषद के संलग्न पत्र संख्या एड्स सोसा0 / SBTC/ODC/CBB/170/11-12/ 144244, दिनॉक 27.07.2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार स्वैच्छिक / चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा संचालित रक्तकोषों को ड्रग एवं कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अधीन आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की अनुमति हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिलाधिकारी को राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 द्वारा निम्नानुसार अधिकार प्रदत्त कर दिए गए है:–

1. जनपद में स्वैच्छिक / चैरिटेबल संस्थाओं को एक वर्ष में अधिकतम् 2 स्वैच्छिक शिविरों के आयोजन की अनुमति संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
2. जनपद में स्वैच्छिक / चैरिटेबल संस्थाओं को एक वर्ष में अधिकतम् 5 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
3. एक वर्ष में 5 से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाली स्वैच्छिक / चैरिटेबल संस्थाओं को रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ द्वारा प्रदान की जाएगी।

संज्ञान में लाना है कि प्रदेश स्तर पर प्राइवेट / चैरिटेबल रक्तकोषों की सम्पन्न हुई कार्यशाला में रक्तकोषों द्वारा आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति में होने वाले विलम्ब के संबंध में राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 को अवगत कराया गया।

कृपया प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने स्तर से वालण्टरी / चैरिटेबल रक्तकोषों को आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आवेदन के प्रकरणों पर शीघ्रताशीघ्र विचार कर सम्यक् निर्णय प्रदान करने का कष्ट करें। रक्तकोषों को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने हेतु ड्रग एवं कास्मेटिक्स एक्ट में दी गयी समस्त व्यवस्थाओं का पालन करना होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

22/12/15

(राकेश कुमार मिश्र)
अपर परियोजना निदेशक
निदेशक, एस.बी.टी.सी., उ.प्र.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, एन.बी.टी.सी., 9वॉ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001।
2. औषधि नियंत्रक, उ0प्र0, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 9, जगत नारायण रोड़, लखनऊ।

22/12/15

(राकेश कुमार मिश्र)
अपर परियोजना निदेशक
निदेशक, एस.बी.टी.सी., उ.प्र.

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
दूरभाष : 0522-2720360, फैक्स : 0522-2721135
http://upaidscontrol.up.nic.in

पत्रांक : एड्स सोसा0 / SBTC/ODC/CBB/170/11-12//44244 दिनांक 27/7/12

सेवा में,

जिला अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषयः स्वयंसेवी संस्थाओं को आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त ही सबसे सुरक्षित है। भारत सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा 90 प्रतिशत रक्त संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्थाओं को राज्य रक्त संचरण परिषद द्वारा अनुमोदित रक्तकोषों के साथ आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति निम्न स्तर से प्रदान की जाएगीः-

1. जनपद में स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्थाओं को एक वर्ष में अधिकतम् 2 स्वैच्छिक शिविरों के आयोजन की अनुमति सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

2. जनपद में स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्थाओं को एक वर्ष में अधिकतम् 5 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. एक वर्ष में 5 से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाली स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्थाओं को परियोजना निदेशक, राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी/उपाध्यक्ष, राज्य रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। अन्य कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

औषधि एवं प्रसाधन एक्ट 1940 नियमावली 1945 में रक्तदान शिविरों हेतु दी गई व्यवस्था नियमानुसार लागू रहेगी।

भवदीय,
27/7/12
(आर.के. सिंह)
प्रभारी परियोजना निदेशक
एवं उपाध्यक्ष,
राज्य रक्त संचरण परिषद,
उत्तर प्रदेश

"एड्स को रोकेंगे, वादा निभाएंगे - मैं, आप और हम सब"